

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लघन न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-

पीपना-रणकुना-गोहाली मोटर मार्ग का निर्माण। (4.185 है०)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के कि निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम का कोई भी उल्लघन नहीं किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत